पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752–240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

आवासीय क्वाटर्स के आबंटन संबंधी नियम/शर्ते

1. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें आवास गृह आबंटित किया गया है वे उक्त आवास गृह खाली रहने की स्थिति में आदेश के दिनांक से 07 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से आधिपत्य में लेवें अन्यथा आदेश स्वमेव ही निरस्त समझा जायेगा।
2. यह आबंटन केवल शासकीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिजियक एवं व्यावसायिक उपयोग वर्जित है, इसके अलावा किसी अन्य को अन्यथा उपयोग हेतु किराये पर देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की जावेगी तथा आबंटिती के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आवास का बाजार दर की दुगुनी राशि से दंडित किराया भी वसूल किया जावेगा।
3. आवास गृह को अपने आधिपत्य में लेते ही अधिकारी/कर्मचारी आधिपत्य में लेने की तारीख की सूचना, अपना वर्तमान वेतन आदि संबंधित जानकारी तथा आधिपत्य छोड़ने पर भी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को अनिवार्य रूप से देवें।
4. आवास को आवासीय उपयोग में नही लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर भी आबंटित आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
5. आबंटिती के स्थानांतरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने, प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश अवधि में रहने पर उसे 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य है तथा ऐसे आबंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवास को आधिपत्य में नही रख सकेगे तथा अनाधिकृत रूप से आधिपत्य पर बिना विपरित प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर पर दुगुनी दर पर किराया वसूल होगा।
6. आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पडोसियों के सुख सुविधाओं में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटित आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा आबंटिती के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया कंडिका–2 के तहत वसूल किया जावेगा।
7. प्रशासनिक कारणों से यह आबंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जावेगा तथा आबंटन आदेश निरस्त किया जाने पर सात दिवस के अंदर आवास रिक्त करना होगा।
8. एक समान पद होने पर आवास आबंटन हेतु उनकी वरिष्ठता सूची के आधार पर आबंटित किया जा सकेगा।
9. जब पति/पत्नी दोनों शासकीय सेवा में एक ही स्थान पर पदस्थ हो तो उसमें से केवल 01 के नाम पर ही शासकीय आवास का आंबटित किया जा सकेगा।
10. शासकीय कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को एक वर्ष तक सामान्य दर पर आवास पर रहने की अनुमति दी जा सकेगी।
11. अन्य नियम छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुरूप रहेगा।

कुलसचिव

पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Scanned by CamScanner